भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1104
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी और सुगमता

†1104. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी विभाग-संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की 2025 के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार, विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी में तेजी और इसमें सुगमता लाने के संबंध में कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रबंधित विशेष खाद्य प्रसंस्करण निधि के कम उपयोग के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा निधि संवितरण एवं परियोजना कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में राजसहायता जारी करने में देरी को दूर करने और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की वर्ष 2025 की रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण स्थायी समिति शाखा, लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत की है। इसके अलावा, एमओएफपीआई ने पश्चिम बंगाल सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शीघ्र एफडीआई प्रसंस्करण और निवेश सुविधा के लिए सुदृढ़ तंत्र की समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी एफडीआई प्रस्तावों पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। एसओपी में प्रस्तावों की जांच, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अंतिम अनुमोदन के लिए समय-सीमा और चरणों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। मंत्रालय एफडीआई प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने और अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूर्वानुमान बनाए रखने के लिए इन समय-सीमाओं का पालन कर रहा है।

(ख): नामित खाद्य पार्कों (डीएफपी) की स्थापना और उसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए किफायती ऋण प्रदान करने हेतु ₹2,000 करोड़ की कोष राशि वाला एक विशेष कोष भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2014 में घोषित किया गया था। विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष (एसएफपीएफ) के कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

i. यद्यपि एमओएफपीआई द्वारा लगभग 325 नामित खाद्य पार्क (डीएफपी) अधिसूचित किए गए हैं, उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एफपीएफ की स्थापना से पहले ही स्थापित हो चुके थे या उन्होंने (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) सावधि ऋण का लाभ उठा लिया था। इसके अलावा, एमओएफपीआई द्वारा मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई थी।

ii. मेगा फूड पार्क (एमएफपी)/ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) में व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गति भी धीमी है क्योंकि अधिकांश एमएफपी के प्रचालन में अधिक समय लगा।

iii. खाद्य प्रसंस्करण कोष (एफपीएफ) के प्रचालन के संबंध में आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, नाबार्ड को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एफपीएफ जमा राशि 7 वर्षों में, जिसमें 2 वर्षों की पाबंदी अवधि शामिल है, चुकानी होगी। तथापि, एफपीएफ के अंतर्गत पिछले अनुभव और एमएफपी/ एपीसी की प्रचालन स्थिति से यह पता चला है कि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स (एपीसी), एमएफपी आदि की स्थापना के लिए अधिक उत्पादन पूर्व अवधि/ पाबंदी अवधि यानी 3 से 5 वर्ष की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एफपीएफ के अंतर्गत कम उत्पादन पूर्व अवधि/ पाबंदी अवधि ने भी एफपीएफ के अंतर्गत कोष के उपयोग में एक बाधा का काम किया।

iv. अंतिम माइल कनेक्टिविटी की कमी, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) से दूरस्थ स्थानों पर प्राथमिक प्रसंस्करण क्लस्टरों (पीपीसी) का स्थान और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए एमएफपी / एपीसी में मुख्य और सक्षम अवसंरचना के समन्वय की कमी जैसे मुद्दे भी कुछ कारण हैं।

निधि वितरण और परियोजना निष्पादन में सुधार के लिए नाबार्ड द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:
i. विभिन्न हितधारकों के बीच निधि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा नियमित रूप से निवेशक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

ii. एफपीएफ के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है।

(ग): एमओएफपीआई की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अनौपचारिक खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म-उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य सरकारों और ऋण देने वाले बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। ये मुद्दे वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भी उठाए जाते हैं। दिसंबर वर्ष 2025 तक, पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमएफएमई के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों और एसएचजी सदस्यों सहित 8,334 कुल उद्यमों को कुल 60.76 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

****